प्राक्कथन

भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के 31 मार्च 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिये इस प्रतिवेदन में "मदिरा के उत्पादन और बिक्री के मूल्य निर्धारण" की लेखापरीक्षा के परिणाम समाविष्ट है। इस प्रतिवेदन को भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को प्रस्तुत किये जाने के लिये तैयार किया गया है।

प्रतिवेदन राज्य आबकारी विभाग से सम्बन्धित पत्रावलियों एवं दस्तावेजों की जाँच से उत्पन्न हुआ है। उत्तर प्रदेश के पड़ोसी राज्यों यथा उत्तराखण्ड, राजस्थान, आदि की आबकारी नीतियों का सन्दर्भ भी, तुलना करनें एवं निष्कर्षों एवं संस्तुतियों तक पहुँचने के लिए लिया गया है। न्यूनतम मानदण्डों के लिए कर्नाटक, तेलंगाना एवं तमिलनाडु जैसे राज्यों की आबकारी नीतियों का भी सन्दर्भ लिया गया है।

इस प्रतिवेदन में वर्णित दृष्टान्त वे हैं, जो उत्तर प्रदेश सरकार (उ0प्र0स0) के राज्य आबकारी विभाग के 2008–18 की अवधि के लिये की गयी नमूना लेखापरीक्षा के दौरान प्रकाश में आये।

लेखापरीक्षा एवं लेखा के विनियमों तथा भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षण मानकों के अनुरूप ही लेखापरीक्षा सम्पादित की गई है।